न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी नित्या के0, आई.ए.एस.)

वाद पत्र सं0— 142/2017
प्रविष्टि दिनांक —09.05.2017

उनवान

अनोख देवी पत्नि लादू जाति माली निवासी ग्राम ढाढा तहसील व जिला टोंक

— वादिया

बनाम

1. जगदीश पुत्र कल्याण जाति माली निवासी ग्राम ढाढा तहसील व जिला टोंक
2. हजारी पुत्र कल्याण जाति माली निवासी ग्राम ढाढा तहसील व जिला टोंक
3. महावीर पुत्र सुरजा जाति माली निवासी ग्राम ढाढा तहसील व जिला टोंक
4. कृष्ण पुत्र सुरजा जाति माली निवासी ग्राम ढाढा तहसील व जिला टोंक
5. प्रसन्न पुत्री सुरजा जाति माली निवासी ग्राम ढाढा तहसील व जिला टोंक
6. ममता पुत्री सुरजा जाति माली निवासी ग्राम ढाढा तहसील व जिला टोंक
7. शान्ति पुत्री सुरजा जाति माली निवासी ग्राम ढाढा तहसील व जिला टोंक
8. शंकर पुत्र कल्याण जाति माली निवासी ग्राम ढाढा तहसील व जिला टोंक
9. तेजपाल पुत्र कल्याण जाति माली निवासी ग्राम ढाढा तहसील व जिला टोंक
10. श्रवण पुत्र कल्याण जाति माली निवासी ग्राम ढाढा तहसील व जिला टोंक

— प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री संजय जैन — अधिवक्ता प्रार्थी
श्री महेश शर्मा — अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक :— 12/1/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जिसके स्वीकार किये जाने की पूर्ण आशा है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रवल एवं सिद्ध है। यह कि भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 439 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा वाके ग्राम ढाढा तहसील व जिला टोंक में स्थित है। मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना अवश्यक एवं न्यायसंगत है कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया की भूमि में हस्तक्षेप नहीं करे तथा किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करे। विपक्षीगण को पावंद नहीं किया गया तो वह उक्त आराजी को किसी अन्य को अन्तरित करने के अपने नाजायज मंसूवो में कामयाव हो जायेगें तथा पक्षकारो के मध्य अनावश्यक मुकदमेवाजी वढ़ेगी तथा मौके पर लड़ाई झगेडे होगें। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण व विपक्षीगण को पावंद किया जावे कि वह प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 439 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा वाके ग्राम ढाढा तहसील व जिला टोंक प्रार्थीया के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें ओर प्रार्थीया को उक्त भूमि में फसल काश्त करने, काटने व उपयोग उपभोग में वाधा उत्पन्न नहीं करें तथा मेडवन्दी को तोडकर वादीया कको उक्त भूमि में घुसने का प्रयास नहीं करें।

वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिए निम्न दस्तावेजात जमावन्दी ग्राम ढाढा प्रस्तुत किये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलवी की गयी। प्रतिपक्षीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें अंकितानुसार प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 में

केवल मात्र वादपत्र पेश होना स्वीकार है। शेष गलत है अस्वीकार है। प्रथम दृष्टिया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रतिपक्षीगण के पक्ष में सिद्ध है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 जिस प्रकार लिखा है, एवं खसरा नम्बरान एवं वाके ग्राम ढाढा तहसील टोंक में स्थित होना स्वीकार है। दावा व प्रार्थना पत्र अनावश्यक एवं तुच्छ प्राकृति का है जो केवल पक्षकारान एवं न्यायालय का समय व श्रम व्यर्थ करने के लिए झुठी एवं मनघडन्त प्लीडिग के आधार पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसको मय हर्जा–खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। विशेष आपत्तियों में निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि को लेकर बेदखली विपक्षीगण एंव कब्जा सुपुर्दगी का दावा पेश कर रखा है जो माननीय न्यायालय के समक्ष जैरकार है। जबकि प्रार्थना पत्र में जबरन कब्जा करने की बात विरोधाभासी है। विपक्षीगण ने माननीय न्यायालय हाजा में एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विपक्षीया के विरूद्ध इस आशय का पेश किया है कि वह जबरन प्रार्थीया को उसकी कब्जे काश्त एंव खातेदारी की भूमि में मजाहमत करती है, जिसके लिए उसे पाबन्द किया जावे जिसके प्रकरण संख्या– 211/2016 है जिसमें प्रार्थीया ने कोई जवाब पेश नहीं किया है। प्रतिपक्षीगण अपने कब्जे काश्त एंव खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 422, 432, 436, 438 वाके ग्राम ढाढा पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है उसके पास ही खसरा नम्बर 439 है दोनों के मध्य मेड है जिसे नहीं तोडा गया है। अतः जवाब आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज किया जावे।

हमने लायक वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजो का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2071–74 के अनुसार वादग्रसत भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी में अंकित है। जिसे उसने अन्य से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। इसके पास ही प्रतिपक्षीगण की खातेदारी भूमि है। पक्षकारों के मध्य अपनी–अपनी खातेदारी भूमि पर एक–दुसरे के कब्जे को लेकर विभिन्न प्रकार के मुकदमें न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। कब्जे संबंधित निर्णय मूल दावे में किया जावेगा। प्रतिपक्षी के जवाब के अनुसार पक्षकारों के मध्य पक्की डोल लगी हुई है जो बरसों से स्थित है। प्रथम दृष्टया कब्जा मानकर स्थगन आदेश किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है। सभी अपनी–अपनी भूमि पर काबिज है इसलिए अपूर्णिय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भारहीन एंव सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भारहीन एंव सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/1/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)